सत्यमेव जयते

राजस्थान राजपत्र विशेषांक	RAJASTHAN GAZETTE Extraordinary
साधिकार प्रकाशित	Published by Authority
आश्विन 22, सोमवार, *शाके 1946*-अक्टूबर 14, *2024* *Asvina 22, Monday, Saka 1946- October 14, 2024*	

भाग-1(ख)

महत्वपूर्ण सरकारी आज्ञायें।

सहकारिता विभाग

अधिसूचना

जयपुर, अक्टूबर 10, 2024

संख्या प. 17(1)सह./2024-03300 :-यत: सेवाओं या प्रसुविधाओं या सहायिकियों के परिदान के लिए पहचान दस्तावेज के रूप में आधार का उपयोग सरकारी परिदान प्रक्रियाओं को सरल बनाता है, पारदर्शिता और दक्षता लाता है, और लाभार्थियों को उनकी पहचान साबित करने के लिए अनेक दस्तावेज प्रस्तुत करने की आवश्यकता का निवारण कर सुविधाजनक और निर्बाध रीति से उनकी हकदारियां प्रत्यक्ष रूप से प्राप्त करने में समर्थ बनाता है;

और यत:, सहकारिता विभाग, जिसे इसमें इसके पश्चात् विभाग के रूप में निर्दिष्ट किया गया है, प्रति वर्ष प्रति कृषक, जो पीएम-किसान योजना का लाभार्थी है, को मुख्यमंत्री किसान सम्मान निधि योजना, जिसे इसमें इसके पश्चात् स्कीम के रूप में निर्दिष्ट किया गया है, के अधीन प्रत्यक्ष प्रसुविधा अंतरण (डीबीटी) के माध्यम से दो हजार रुपये का अंशदान देने का प्रशासन कर रहा है, स्कीम सूचना प्रौद्योगिकी और संचार विभाग (डीओआईटी एण्ड सी), जिसे इसमें इसके पश्चात् क्रियान्वयन अभिकरण के रूप में निर्दिष्ट किया गया है, के माध्यम से क्रियान्वित की जा रही है;

और यत:, स्कीम के अधीन विद्यमान स्कीम मार्गदर्शक सिद्धांतों के अनुसार क्रियान्वयन अभिकरण के माध्यम से पीएम-किसान योजना के लाभार्थियों को प्रति वर्ष प्रति कृषक दो हजार रुपये (प्रथम किस्त एक हजार रुपये की रकम, दूसरी और तीसरी किस्त प्रत्येक पांच सौ, पांच सौ रुपये की रकम) दिये जा रहे हैं;

और यत:, पूर्वोक्त स्कीम में राजस्थान राज्य की संचित निधि से उपगत आवर्ती व्यय अंतर्वलित है;

अत:, इसलिए, आधार (वित्तीय और अन्य सहायिकियों, प्रसुविधाओं और सेवाओं का लक्ष्यित परिदान) अधिनियम, 2016 (2016 का केन्द्रीय अधिनियम सं. 18), जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम के रूप में निर्दिष्ट किया गया है, की धारा 7 के अनुसरण में राज्य सरकार, इसके द्वारा निम्नलिखित अधिसूचित करती है, अर्थात्:-

1. (1) स्कीम के अधीन प्रसुविधाएं प्राप्त करने के लिए पात्र व्यक्ति से उसके द्वारा आधार संख्या धारित करने का सबूत प्रस्तुत करना या आधार प्रमाणीकरण करवाना अपेक्षित होगा।

(2) स्कीम के अधीन प्रसुविधाएं प्राप्त करने के इच्छुक किसी व्यक्ति, जो आधार संख्या धारित नहीं करता है या, आधार के लिए अभी तक नामांकन नहीं कराया है, से स्कीम के लिए रजिस्ट्रीकरण करने से पूर्व आधार नामांकन के लिए आवेदन करना अपेक्षित होगा, परंतु वह उक्त अधिनियम की धारा 3 के अनुसार आधार अभिप्राप्त करने का हकदार है, और ऐसा व्यक्ति आधार के लिए नामांकन कराने के लिए किसी भी आधार नामांकन केन्द्र (सूची

भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण (यूआईडीएआई) की वेबसाइट www.uidai.gov.in पर उपलब्ध है) पर जायेगा।

(3) आधार (नामांकन और अद्यतन) विनियम, 2016 के विनियम 12 के अनुसार, विभाग से अपने क्रियान्वयन अभिकरण के माध्यम से उन लाभार्थियों, जो अभी तक आधार के लिए नामांकित नहीं हैं, के लिए आधार नामांकन सुविधाएं प्रदान करना अपेक्षित है और यदि संबंधित ब्लॉक या तहसील में कोई भी आधार नामांकन केन्द्र अवस्थित नहीं है, तो विभाग अपने कार्यान्वयन अभिकरण के माध्यम से यूआईडीएआई के विद्यमान रजिस्ट्रार के समन्वय से या स्वयं यूआईडीएआई रजिस्ट्रार बनकर सुविधाजनक स्थानों पर आधार नामांकन सुविधाएं उपलब्ध करवायेगा:

परन्तु किसी व्यक्ति को आधार समनुदेशित किये जाने तक, ऐसे व्यक्ति को स्कीम के अधीन प्रसुविधाएं, निम्नलिखित दस्तावेजों को प्रस्तुत किये जाने के अध्यधीन दी जायेंगी, अर्थात्:-

(क) यदि उसका नामांकन हो गया है, तो उसकी आधार नामांकन पहचान रसीद; और

(ख) निम्नलिखित दस्तावेजों में से कोई एक दस्तावेज, अर्थात्:-

(i) फोटो सहित बैंक या डाकघर पासबुक; या

(ii) स्थायी खाता संख्यांक (पैन) कार्ड; या

(iii) पासपोर्ट; या

(iv) राशन कार्ड; या

(v) मतदाता पहचान-पत्र; या

(vi) मनरेगा कार्ड; या

(vii) किसान फोटो पासबुक; या

(viii) मोटर यान अधिनियम, 1988 (1988 का केन्द्रीय अधिनियम सं. 59) के अधीन अनुज्ञापन प्राधिकारी द्वारा जारी चालन अनुज्ञप्ति; या

(ix) राजपत्रित अधिकारी या तहसीलदार द्वारा शासकीय लैटर हैड पर जारी ऐसे व्यक्ति का फोटो पहचान-पत्र; या

(x) विभाग द्वारा यथा विनिर्दिष्ट कोई अन्य दस्तावेज:

परन्तु यह और कि उस प्रयोजन के लिए विभाग द्वारा विनिर्दिष्ट रूप से नामनिर्दिष्ट अधिकारी द्वारा उपर्युक्त दस्तावेजों की जांच की जायेगी।

2. स्कीम के अधीन लाभार्थियों को सुविधाजनक रूप से प्रसुविधाएं उपलब्ध करवाने के क्रम में, विभाग इसके क्रियान्वयन अभिकरण के माध्यम से, यह सुनिश्चित करने के लिए समस्त अपेक्षित व्यवस्थाएं करेगा कि लाभार्थियों को उक्त अपेक्षा की जानकारी करवाने के लिए मीडिया के माध्यम से उनमें व्यापक प्रचार किया जाये।

3. उन समस्त मामलों में, जहां आधार अधिप्रमाणन लाभार्थियों के खराब बायोमैट्रिक्स या किसी भी अन्य कारण से विफल हो जाता है, निम्नलिखित उपचारात्मक तंत्र अपनाये जायेंगे, अर्थात्:-

(क) अंगुलियों की छाप की खराब गुणवत्ता के मामले में, अधिप्रमाणन के लिए आंखों की पुतलियों के स्कैन या चेहरा अधिप्रमाणन सुविधा को अपनाया जाएगा, तद्द्वारा निर्बाध रीति से प्रसुविधाओं के प्रदाय के लिए विभाग अपने क्रियान्वयन अभिकरण के माध्यम से आंखों की पुतलियों के स्कैनर या चेहरा अधिप्रमाणन के साथ-साथ अंगुलियों की छाप अधिप्रमाणन के लिए व्यवस्था करेगा;

(ख) यदि अंगुलियों की छाप या आंखों की पुतलियों के स्कैन या चेहरा अधिप्रमाणन के माध्यम से बायोमैट्रिक अधिप्रमाणन सफल नहीं होता है, तो जहां भी संभव और स्वीकार्य हो, आधार वन टाइम पासवर्ड या, यथास्थिति, सीमित समय सीमा के साथ समय-आधारित वन-टाइम पासवर्ड द्वारा अधिप्रमाणन प्रस्तावित किया जाएगा;

(ग) अन्य समस्त मामलों में, जहां बायोमैट्रिक या आधार वन टाइम पासवर्ड या समय-आधारित वन-टाइम पासवर्ड अधिप्रमाणन संभव नहीं है, तो स्कीम के अधीन प्रसुविधाएं भौतिक आधार पत्र के आधार पर दी जा सकेंगी, जिसका अधिप्रमाणन आधार पत्र पर मुद्रित त्वरित प्रतिक्रिया (क्यूआर) कोड के माध्यम से सत्यापित कि या जा सकता है और त्वरित प्रतिक्रिया (क्यूआर) कोड रीडर की आवश्यक व्यवस्था विभाग द्वारा अपने क्रियान्वयन अभिकरण के माध्यम से सुविधाजनक स्थानों पर उपलब्ध कराई जाएगी।

4. उपर्युक्त के अतिरिक्त, यह सुनिश्चित करने के लिए कि स्कीम के अधीन किसी भी पात्र लाभार्थी को अपनी देय प्रसुविधाओं से वंचित नहीं किया गया है, विभाग अपने क्रियान्वयन अभिकरण के माध्यम से डीबीटी मिशन, मंत्रि मंडल सचिवालय, भारत सरकार के कार्यालय ज्ञापन दिनांक 19 दिसम्बर, 2017 में रेखांकित अपवाद हैंडलिंग तंत्र का पालन करेगा।

5. यह अधिसूचना राजपत्र में इसके प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होगी।

राज्यपाल के आदेश से,

दिनेश कुमार जांगिड़,
संयुक्त शासन सचिव।

राज्य केन्द्रीय मुद्रणालय, जयपुर।